कार्यालय संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(✉ Email-mpbamboomission@mp.gov.in, ☎ Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, 🖷 Fax-0755-2555523)

आदेश क्रमांक/बांस मिशन/2018/20 भोपाल, दिनांक : 27-08-2018

//आदेश//

विषयः— *बांस क्षेत्र में कार्यरत् शिल्पियों, कृषकों, फील्ड स्टॉफ तथा अन्त्य—व्यवसाईयों के कौशल—विकास, एक्सपोज़र तथा प्रशिक्षण बाबत्।*

बांस क्षेत्र से मुख्यतः निम्न पणधारी (Stake-holders) चिन्हित किये गये है जिन्हे आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा एक्सपोज़र विजिट की आवश्यकता हैः—

- बांस उगाने वाले कृषक
- बांस शिल्पी
- बांस उद्यमी
- बांस विशेषज्ञ
- बांस मिशन के कार्य से जुड़े समस्त कर्मचारी व अधिकारी

- बांस उगाने वाले कृषकों का प्रशिक्षणः—

1) बांस उगाने वाले कृषकों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया — प्रदेश में हरदा, बालाघाट, धार, बड़वानी, रतलाम जिले में वर्ष 2016—17 व 2017—18 में बांस खेती के प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किये गये है। यहाँ कृषकों को ले जाकर बांस खेती की बारीकियाँ समझायी जायेंगी।

2) बांस की विभिन्न प्रजातियो के उन्नत पौधों का विकास राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर; अनुसंधान विस्तार नर्सरी, इंदौर; मुकुंद बायोटेक लैब, जबलपुर (निजी); इति बायोटेक लैब, बैतूल (निजी) तथा रेवा फ्लोरा कल्चर लैब, अंजड़, बड़वानी (निजी); से संपर्क कर कृषको को उन्नत पौधों की तैयारी तथा उनकी उपलब्धता संबंधी एक्सपोज़र विजिट करायी जा सकेगी।

3) वन विभाग व वन विकास निगम द्वारा बांस की बेम्बूसा बालकुंआ के टिशु कल्चर पौधों का उन्नत तकनीकी विधि से रोपण किया गया है। यहाँ पर कृषको को उनकी ग्रोथ इत्यादि के आँकड़ो से अवगत् कराया जा सकेगा। परिशिष्ट — 3 (संलग्न) हैं।

4) प्रदेश में निम्न स्थानों पर बांस की विभिन्न प्रजातियों का रोपण कर बेम्बूसेटम स्थापित किये गये है। यहाँ संपर्क कर कृषको बांस की विभिन्न प्रजातियो के रोपण विधि तथा उनके बढ़त के आँकड़ो से अवगत् कराया जायेगा।

इसी के साथ कृषको को पम्फलेट/हेण्ड बिल्स, लिटरेचर तथा विशेषज्ञो के साथ परिचर्चा कराकर भी उन्हे प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे कि उनमें बांस खेती से मिलने वाले लाभो के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके।

उन्ही कृषको को उपरोक्त प्रशिक्षणों में शामिल किया जायेगा जिन्होने बांस खेती के लिए आवेदन दिया है तथा बांस खेती के लिए उत्सुक हैं।

बांस उद्यमी बांस विशेषज्ञ तथा बांस मिशन के कार्यो से जुड़े वन कर्मियों को प्रशिक्षण कृषको तथा बांस शिल्पियों के साथ ही दिया जायेगा।

बांस शिल्पियों का प्रशिक्षण

वर्तमान में केन्द्र व राज्य शासन कृषकों की आय दोगुनी करने के लिये प्रयासरत् है। कृषि भूमि में बांस रोपण से कृषको की आय बढ़ाना संभव है। वर्तमान में प्रदेश में बांस की सिर्फ दो प्रजातियाँ प्रसिद्ध है। राज्य बांस मिशन द्वारा तेजी से बढ़ने वाली उच्च उत्पादकता (Fast Growing High Yielding - FGHY) वाली व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों का विकास किया जा रहा है। इन प्रजातियों से कृषको की आय तो बढ़ेगी ही साथ ही इन प्रजातियों के बांस शिल्पियों को मिलने पर गुणवत्ता बेहतर होने से उनकी आय भी बढ़ेगी।

बांस शिल्प की राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। वर्तमान में बांस शिल्प उत्पादन इतना कम है कि स्थानीय बाज़ार में ही बिक जाता है। बड़े शहरो तक मांग के अनुपात में बांस शिल्प नही पहुँच पाते। मांग व पूर्ति के इस अंतर को भर कर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते है। मार्केटिंग नेटवर्क के लिए मिशन की सहयोगी संस्थाओं लघु उद्योग निगम व संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम का नेटवर्क भी प्रदेश के शिल्पियों को उपलब्ध है। अतः मार्केटिंग समस्या नहीं है। उत्पादन आधार बढ़ाकर शिल्पियों को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जा सकता है।

प्रशिक्षण का उद्देश्यः–

बांस शिल्प में प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

05. प्रदेश के वनों पर निर्भर अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार युवाओं/अल्पकालिक रोजगार प्राप्त भूमिहीन कृषि मजदूरों को बांस शिल्प में प्रशिक्षण देकर स्व–रोजगार में स्थापित करना।
06. बांस शिल्प की राष्ट्रीय बाज़ार में मांग को दृष्टिगत् रखते हुये बांस शिल्प का उत्पादन आधार बढ़ाकर परम्परागत्/प्रशिक्षित शिल्पियों की आय में वृद्धि व रोजगार के नये अवसर पैदा करना।
07. बांस शिल्प की गुणवत्ता में सुधार लाकर व शिल्प उत्पादन में आधुनिक औजारों/मशीनो के उपयोग को बढ़ावा देकर शिल्पियों की शिल्प निर्माण क्षमता में वृद्धि कर उनकी आय बढ़ाना।
08. तृतीय चरण का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले शिल्पियों को मास्टर शिल्पी की योग्यता व मान्यता देकर उन्हें विकास का केन्द्र बिंदु (Nucleus of Growth) बनाना जिससे वे अपने आस–पास के अन्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर अपने साथ रोजगार में लगा सकें।

बांस शिल्प में बुनियादी प्रशिक्षणः–

बांस शिल्पियों का प्रथम चरण प्रशिक्षण बांस मिशन द्वारा प्रथम चरण में सभी क्लस्टर्स में परम्परागत् बांस शिल्पियों (बसोड़) व अन्य समाज के इच्छुक युवाओं को तीन दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। बुनियादी प्रशिक्षण के लिये शिल्पियों

का चयन करने हेतु प्रशिक्षण पूर्व मोबलाईजेशन किया जावेगा। इस मोबलाईजेशन में प्रशिक्षण से लाभ समझा कर परम्परागत् शिल्पियों को अपना पैतृक व्यवसाय अपनाने के लिये प्रेरित किया जावेगा। एक बैच में 50 शिल्पी होंगे। प्रत्येक 10 शिल्पी पर एक मास्टर शिल्पी होगा।

तीन दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण में यह चिन्हित किया जावेगा कि कौन–कौन शिल्पी प्राकृतिक रूप से हुनरमंद है तथा उनकी इस पेशे में आने की रूचि है। यह प्रशिक्षण शिल्पियों के निवास के पास ही दिया जावेगा। अतः सिर्फ चाय–नाश्ता व दोपहर के भोजन की ही व्यवस्था की जावेगी। शिल्पियों को रू. 150/– प्रतिदिन की मजदूरी क्षतिपूर्ति भी दी जावेगी।

द्वितीय चरण का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के लिये उपरोक्त प्रथम चरण में प्रशिक्षित किये गये शिल्पियों में से हुनरमंद शिल्पियों का चयन किया जावेगा। इन्हें उनके ग्राम से बाहर लाकर 30 शिल्पियों के बैच को ऐसे क्लस्टर्स मे प्रशिक्षण दिया जावेगा जहाँ आधुनिक मशीनों की सुविधा है। एक बैच में 30 शिल्पी होंगे व प्रत्येक 10 शिल्पियों पर एक मास्टर शिल्पी होगा। इस प्रशिक्षण में एक मास्टर शिल्पी ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। एक डिजाईनर भी अनुबंधित किया जा सकेगा जिससे शिल्पी बाज़ार की मांग के अनुरूप उत्पाद बनाना सीख सकें। अतः इस प्रशिक्षण में चाय–नाश्ता के अतिरिक्त दो समय के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। प्रशिक्षण के पूर्व ही शिल्पियों को टूलकिट्स का सेट दे दिया जावेगा। वे इन्हीं टूलकिट्स पर काम करेंगे व प्रशिक्षण के बाद साथ ले जायेंगे जिससे तुरंत स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें। यह प्रशिक्षण दो सप्ताह का होगा तथा किसी सामान्य सुविधा केन्द्र पर इन्हें कुछ उत्पादो पर लगातार कार्य कराकर इनके कौशल को उन्नत किया जायेगा जिससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादो का निर्माण कराया जा सके।

तृतीय चरण का उत्पादकता वृद्धि प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण के लिये द्वितीय चरण का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिल्पियों में से बहुत अच्छे शिल्पियों का चयन किया जावेगा। इस चरण के प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है। यह प्रशिक्षण 15 दिवस का होगा। इस प्रशिक्षण के बाद इन शिल्पियों में मास्टर शिल्पी बनने की क्षमता आ जावेगी। वे अगले प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगे तथा स्वरोजगार के लिऐ अपनी इकाई स्थापित करेंगे। यह प्रशिक्षण में एक बैच में 30 प्रशिक्षणार्थी होंगे व द्वितीय चरण के समान मुख्य क्लस्टर्स में दिया जावेगा।

भोजन आदि की व्यवस्था द्वितीय चरण के समान की जावेगी। इस चरण के प्रशिक्षण में भी एक मास्टर शिल्पी राष्ट्रीय स्तर का व डिजाइनर के मार्गदर्शन की व्यवस्था भी की जा सकेगी।

द्वितीय व तृतीय चरण के प्रशिक्षण के डाक्यूमेंटेशन की व्यवस्था भी की जावेगी। उद्यमिता विकास पर जानकारी देकर इच्छुक शिल्पियों के प्रकरण मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना में बनवाकर उनकी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी।

इस नीति के अनुसार प्रशिक्षण तभी दिया जा सकेगा जब शासन से अनुदान इस नीति के अनुसार प्राप्त हो। राज्य बांस मिशन द्वारा अपनी नीति के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी अनुदान प्राप्त कर शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रकरण में उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे व अनुदान देने वाली संस्था के नियम लागू होंगे।

राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह
की अनुशंसा पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित।

(बी.बी.सिंह)
संचालक, राज्य बांस मिशन
म.प्र. भोपाल

पृष्ठा.क्र./बांस मिशन/2018/848 भोपाल, दिनांक 27-08-2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनु.विस्तार एवं लो.वा.), म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षे0), वनवृत्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षे0), वनमंडल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. आदेश नस्ती।

संचालक, राज्य बांस मिशन
म.प्र. भोपाल